मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 30.07.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 02 आरोपियों को करायी गई आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत "पीयूष मोर्डिया" अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व "आर.पी.सिंह" पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में "सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना चिल्ह पर पंजीकृत हत्या कर शव को छुपाने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय एएसजे-I, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः 28.02.2022 को थाना चिल्ह पर वादी अरविन्द कुमार यादव पुत्र हरिशंकर सिंह यादव निवासी नयेपुर थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के भांजे की हत्या करने व शव को छुपाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । उक्त के सम्बन्ध में थाना चिल्ह पर मु0अ0सं0-36/2022 धारा 302,201 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया । "सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना चिल्ह पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सच्चिदानन्द तिवारी, विवेचक-उपनिरीक्षक अजीत कुमार श्रीवास्तव, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी हवलदार यादव व आरक्षी वेद प्रकाश यादव तथा पैरोकार- राममुरत सिंह यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय एएसजे-I संतोष कुमार गौतम, जनपद मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तों—1.अंकित कुमार यादव पुत्र अशोक कुमार यादव व 2.राधेश्याम यादव पुत्र विजय शंकर यादव निवासी तलवाडिहा थाना कौइरौना जनपद भदोही को अन्तर्गत धारा 302,201 भादवि में

आजीवन कारावास व ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

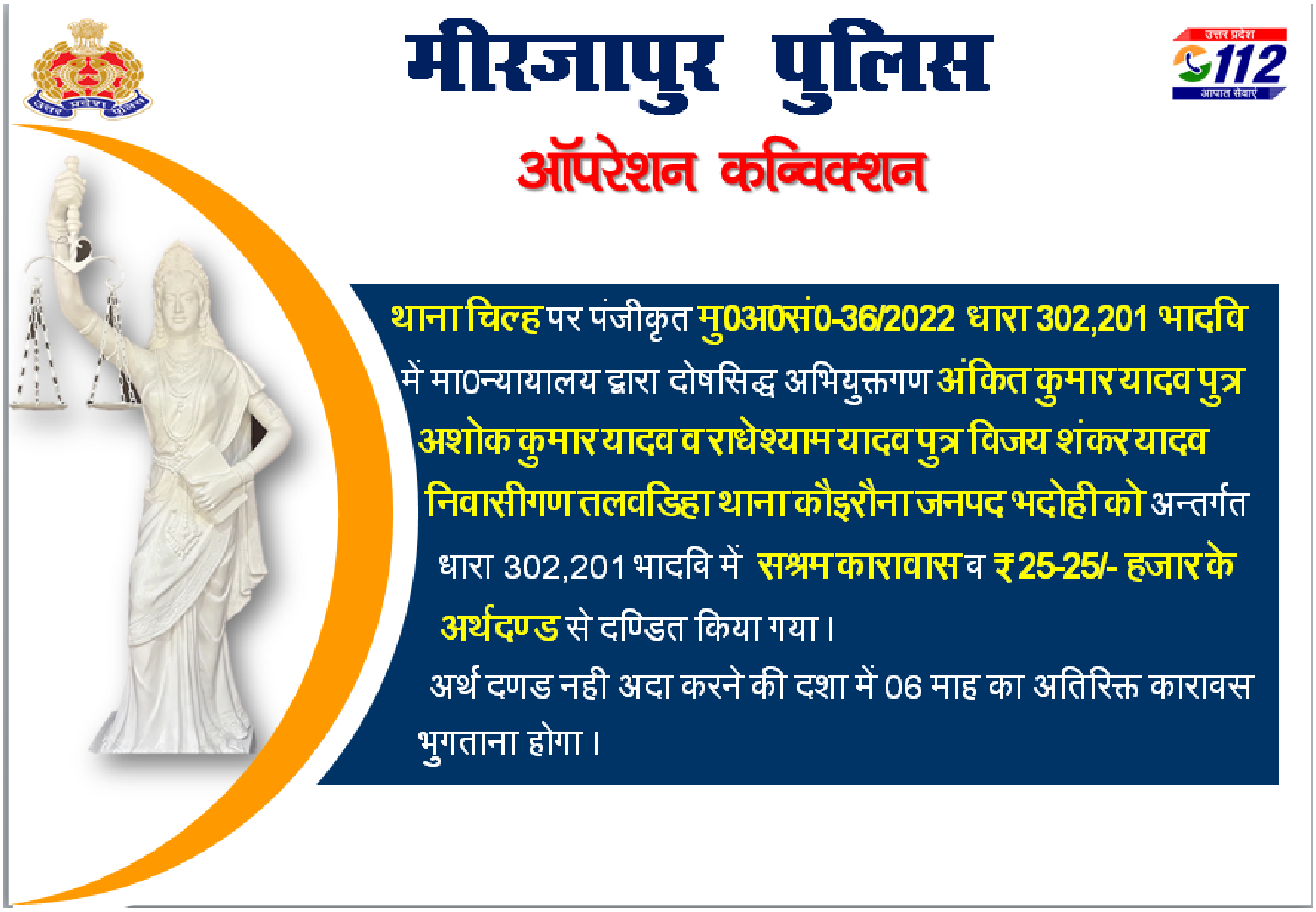

****